

UCMR 2025/209

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)
क्रमांक/राजस्व/तहरीर/25/249 दिनांक:- 30/04/2025


प्रेषित:-

तहसीलदार,
नवलगढ़।

विषय:-उनवानी प्रकरणनन्दू सिंह बनाम तहसीलदार नवलगढ़... मुकदमा नम्बर
51/2025 अ0धा0 136 के निर्णय की पालना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उनवानी प्रकरण नन्दू सिंह बनाम तहसीलदार
नवलगढ़... मुकदमा नम्बर 51/2025 अ0धा0 136 में निर्णय दिनांक ...30.04.2025... को हो चुका है।
अतः निर्णय की प्रति व आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाया जा रहा है,
नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र निर्णय की छाया प्रति।


(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

प्रशासन मांगों के संग अधियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़, जिला- झुझुनू

सीन अधिकारी मोपती चुडा सोनरा उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जेम्स कोर्ट नवलगढ़

RCMS नं. 2025/209

सांख्यिक 5/2025

आदेश

दिनांक- 30/4/2025

प्रार्थीगण का खाता नुरुस्ती प्रार्थनापत्र एवं पटवारों इल्का व भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नवलगढ़ की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नीम की ढाणी की जमाबन्दी संवत् 2075=78 में दर्ज प्रविष्टियों को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क.सं.	ग्राम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	नीम की ढाणी	85	I नन्दू सिंह पु. महात्मसिंह हि. 3/5 जाति- राजपूत सा. डेह खारदार II वजरंग सिंह पु. महात्मसिंह हि. 3/5 जाति- राजपूत सा. डेह खारदार	I नन्दू सिंह पु. महात्मसिंह हि. 1/2 जाति- राजपूत सा. डेह खारदार II वजरंग सिंह पु. महात्मसिंह हि. 1/2 जाति- राजपूत सा. डेह खारदार
2	नीम की ढाणी	169	I नन्दू सिंह पु. महात्मसिंह हि. 1/8 जाति- राजपूत सा. डेह खारदार II वजरंग सिंह पु. महात्मसिंह हि. 3/20 जाति- राजपूत सा. डेह खारदार शेष जफ्त जमाबन्दी	I नन्दू सिंह पु. महात्मसिंह हि. 1/8 जाति- राजपूत सा. डेह खारदार II वजरंग सिंह पु. महात्मसिंह हि. 1/8 जाति- राजपूत सा. डेह खारदार शेष जफ्त जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ झुझुनू
दिनांक 30/4/2025-2021

क्रमांक/राजस्व/प्रमां के सं. अधि 2021/प्रतिलिपी:-

1. तहसीलदार नवलगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर मालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
2. आवेदक.....

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ झुझुनू